

# न्यायालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं०- 05./2021

30/01/2021 आवेदक बद्री सिंह वो रविन्द्र सिंह, पिता स्व० बासो सिंह, मौजा- कोडरमा, पोस्ट- कोडरमा, थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकवा	किस्म
कोडरमा	333	665	1874	09 डी०	रैयती
			1882	84 डी०	
			1883	19 डी०	
			1886	14 डी०	
			1887	24 डी०	
			कुल रकवा- 1 एकड़ 50 डी०		

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तागत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करते हुए आपत्ति की माँग दिनांक 15/02/2021 तक करें।

आम इस्तहार हस्ताक्षरित।

अभिलेख दिनांक 15/02/2021 को रखें।

30/01/2021  
अंचल अधिकारी  
कोडरमा

15/02/2021 अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। हल्का राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक बद्री सिंह वो रविन्द्र सिंह, पिता स्व० बासो सिंह, साकिन-कोडरमा, पोस्ट- कोडरमा, थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा थाना नं०-333, खाता संख्या-665, रकवा-1.50 एकड़ भूमि पंजी- II की पृष्ठ संख्या-166, भोलम संख्या-07 पर बीरो सिंह पिता नुनु सिंह के नाम से दर्ज है। जिसका लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। आवेदक बद्री सिंह वो रविन्द्र सिंह, पिता स्व० बासो सिंह द्वारा आवेदन के साथ शपथ पत्र सं०-22, दिनांक- 10.02.2021 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। इन्होंने मतंब्य दिया है कि भूमि रैयती खाते की है। मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333, खाता संख्या-665, प्लॉट संख्या-1882, रकवा-0.84 एकड़ भूमि वर्तमान में जमाबन्दीदार के वंशजों का दखल-कब्जा है। मौजा- कोडरमा थाना सं०- 333, खाता सं०-665, प्लॉट सं०-1882, रकवा-0.84 ए० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि है। मौजा- कोडरमा थाना सं०- 333, खाता सं०-665, प्लॉट सं०-1882, रकवा-0.84 ए० भूमि निबंधन योग्य है।

यद्यपि निबंधन के उपरांत भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामांतरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि संमत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अभिप्रेक्षापित

15/02/2021  
अंचल अधिकारी  
कोडरमा

मुन्नी देवी

15/02/2021  
अंचल अधिकारी  
कोडरमा



## अंचल अधिकारी का कार्यालय

कोडरमा सदर, कोडरमा

### प्राप्ति रसीद

नामांतरण मुकदमा संख्या : 1450 R27/ 2021 - 2022 /कोडरमा सदर (BY SALE)

आवेदक का नाम	अभिभावक का नाम	पता
MUNNI DEVI	RITLAL YADAV	AT-NEAR RAJA TALAB STAFF COLONY KODERMA WARD NO -0

से नामांतरण हेतु आवेदन (संख्या - 21506 ) प्राप्त किया गया।

#### क्रेता का विवरण

क्रेता का नाम	अभिभावक का नाम	पता
MUNNI DEVI	RITLAL YADAV	AT-NEAR RAJA TALAB STAFF COLONY KODERMA WARD NO -01 PS+DIST-KODERMA

#### प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण

दस्तावेज प्रकार	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज तिथि	राशि
Registration Deed	2365	22/07/2021	655000

#### विक्रेता का विवरण

विक्रेता का नाम	अभिभावक का नाम	पता
BADRI SINGH	LATE BASU SINGH @ BASO SINGH	AT-BARSOTIYABAR PO+PS KODERMA DIST-KODERMA
RAVINDER SINGH	LATE BASU SINGH @ BASO SINGH	AT-BARSOTIYABAR PO+PS KODERMA DIST-KODERMA


#### म्युटेशन हेतु भूमि का विवरण

मौजा: कोडरमा थाना : 333

आवेदन की तिथि	खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा
8/5/2021 5:12:44 PM	665	1882	0 एकड़, 4.89 डिसमील, 0 हेक्टर

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत अधिकारी)



मुन्नी देवी

Copy

021

## आदेश

तिथि  
Sep 11 2021

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा कोडरमा थाना कोडरमा सदर

खाता	प्लॉट	रकबा
665	1882	0 एकड़, 4.89 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
BADRI SINGH	पिता	LATE BASU SINGH @ BASO SINGH
RAVINDER SINGH	पिता	LATE BASU SINGH @ BASO SINGH

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2365 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
बीरो सिंह	पिता	नुनु सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।


संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसके अनुसार भूमि रैयती खाते की है, इस नामान्तरण के बिरुध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। क्रेता का भूमि पर दखल है इन्होंने नामान्तरण स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के अलोक में नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान 10 रुपये  
स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण  
किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
ANIL KUMAR  
अंचलाधिकारी कोडरमा सदर



नुनी देवी